

संख्या: 1:05:138: I:सीएस

दिनांक: 30.09.2025

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400 051	BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001. बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	---

विषय: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - साउथ कलम्ब पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का निगमन

महोदया/महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	उद्देश्य
	साउथ कलंब पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	"साउथ कलंब S/S (सबस्टेशन) पर विद्युत निकासी हेतु नेटवर्क विस्तार योजना - भाग अ" के विकास के लिए:

विद्युत मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-21082025-265554 दिनांक 19.08.2025 जारी की है, जिसमें पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य उपरोक्त ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना के लिए बोलीदाता को ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के रूप में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित करना है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बीपीसी को परियोजना प्रोफाइल तैयार करनी होती है और यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। इन गतिविधियों के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन आवश्यक है जो पारेषण परियोजनाओं की विभिन्न प्रारंभिक

गतिविधियों को संभालेगा, जैसे सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करना और यदि आवश्यक हो तो वन मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ करना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को एसपीवी हस्तांतरित किया जाना है। यह हस्तांतरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा।

तदनुसार, उपरोक्त ट्रांसमिशन स्कीम को विकसित करने के लिए एसपीवी को पीएफसीसीएल की पूर्णाधीन सब्सिडियरी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। बोली प्रक्रिया समाप्ति के बाद एसपीवी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सफल बोलीदाता परियोजना को विकसित करेंगे।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

भवदीय,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

mk_agarwal@pfcindia.com